

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 880 / FP/UK/ROAD/19747/2016 देहरादून: दिनांक 28 सितम्बर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चमोली में पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no FP/UK/ROAD/19747/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/19747/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:-जनपद- विषय:- जनपद-चमोली में पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/ROAD/19747/2016)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बट्टीनाथ वन प्रभाग में 3.97 हे० सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-चमोली में पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

सरकारी मोहर:

तिथि : 28/09/2018

स्थान : देहरादून